# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2016 G.C.M.S. No. 2016/00499 दर्ज दिनांक : 12.02.2016

अपीलार्थी:

1. पेपीबाई पत्नि दौलाराम, जाति मेघवाल, उम्र 80 वर्ष (फौत, विलोपित)
2. मांगीबाई पुत्री दौलाराम, जाति मेघवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासीगण ग्राम दादाई, तहसील देसूरी, जिला पाली, हाल निवासी पिंजरापोल गोशाला के पास भैरूनाथ आश्रम के पास, बागडिया रोड़, पाली।

## बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पीराराम पुत्र दीपाराम उम्र वयस्क।
2. ओटकी पत्नि दीपाराम उम्र वयस्क, जातिगण मेघवाल, निवासीगण दादाई, तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. लक्ष्मी पुत्री दौलाराम पत्नि खंगारराम जाति मेघवाल, निवासी दादाई, तहसील देसूरी व जिला पाली।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी लैण्ड होल्डर, तहसील देसूरी व जिला पाली।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 1571/2011 बअनवान दौलाराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963**

**पैरोकार–**

1. श्री महेन्द्रकुमार व्यास, श्री ज्योति सिंघवी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री राजेन्द्रसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2

## निर्णय

दिनांक: 28.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 1571/2011 बअनवान दौलाराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता व पति ने अपनी खातेदारी भूमि बाबत् जो गलत प्रविष्टि रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हुई उसकी शुद्धि का एवं खातेदारी घोषणा का वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट प्रतिवादी प्रस्तुत किया उक्त वाद में प्रथमदृष्टया रेकर्ड अनुसार न्यायालय द्वारा रेकर्ड में रेवेन्यू अधिकारी द्वारा की गई अशुद्धि की कार्यवाही को तत्काल शुद्धि की जानी थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के पीठाशीन अधिकारी द्वारा वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के वाद का कोई अवलोकन नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी दौलाराम के विचारण के दौरान स्वर्गवास हो गया जिसके एलआर की ओर से मृतक वादी के वारिसान का प्रार्थना पत्र उनके नाम सहित दिनांक 17.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। उक्त वादी पक्षकार को वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया जब तक वाद के शीर्षक में पक्षकार संयोजित नहीं किया जाता है तो उक्त वाद की अग्रिम कार्यवाही कतई किया जाना न्यायसंगत नहीं थी। इस प्रकार अपीलांट मांगीदेवी जो मृतक दौलाराम की जायंदा पुत्री है। जो वाद में आवश्यक पक्षकार वादी थीं। उक्त अपीलांट मांगीदेवी को बिना पक्षकार संयोजित किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि व पत्रावली का बिना अवलोकन किये अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र को जरिये विड्रोल खारिज करते हुए डिक्री पारित कर दी गई। उक्त प्रक्रिया व कार्यवाही से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में विधि व विध की प्रक्रिया का व वाद के पक्षकारों का बिना अवलोकन किये सम्पूर्ण वाद पत्र को ही अपीलांट मांगी देवी के हक अधिकारों के विरूद्ध पारित कर दिया। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व केम्प दादाई में अपीलांट पेपीदेवी जो अनपढ़ महिला है। उक्त अनपढ़ महिला को रेस्पोडेंट लक्ष्मी जो पीराराम व ओटकीदेवी से मिलकर उक्त अपीलांट अनपढ़ महिला को आवेदन पर प्रस्तुत किये कार्यवाही का बिना ज्ञान कराए उस पर अंगुष्ठ निशान करवा दिये तथा अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध वाद पत्र को जरिये राजीनामा निस्तारिक करने हेतु प्रस्तुत किया। जबकि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई राजीनामा वाद पत्र को वापस लेने हेतु प्रस्तुत नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक की कार्यवाही के दौरान जो राजीनामा प्रपत्र पर जो अंकन किया, उससे जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी व अन्य सदस्यों ने अपीलांट पक्षकार को राजीनामे की कार्यवाही का बिना ज्ञान कराए उसे दौलाराम उपस्थित होना बताकर राजीनामा तस्दीक किया। उक्त कार्यवाही से एवं न्यायालय की प्रक्रिया से जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी ने राजीनामे की प्रक्रिया का बिना अवलोकन किये विधि विरूद्ध तरीके से एवं अपीलांट को उसकी मालिकाना कृषि भूमि से वंचित करने की नियत से वाद पत्र को खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दौलाराम पुत्र देवाजी द्वारा प्रस्तुत हुआ जिनका स्वर्गवास हो गया वादी के वाद पत्र का कोई जवाबदावा प्रतिवादी पीराराम, ओटकी व तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया तथा दौलाराम के स्वर्गवास होने के बाद उसके वारिसान को बतौर वादी पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ उक्त आवेदन में दौलाराम के सभी वारिसान का नाम दर्ज था। उक्त पक्षकारों को बतौर वादी पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संयोजित नहीं किया तथा उक्त एल.आर. के आवेदन का कोई जवाब प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया अधिनस्थ न्यायालय को स्वर्गीय दौलाराम के वारिसान की जानकारी होते हुए अपीलांट मांगी को बिना पक्षकार संयोजित किये एवं उसके हक अधिकारों के विरूद्ध एवं अपीलांट मांगी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसके हक अधिकारों के विरूद्ध वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट के जायज हक अधिकारों से महरूम करते हुए पारित की हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने पीराराम व ओटकी को सम्मन तामिल होने के बाद उनकी ओर से विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जबकि उनका जवाब दावा बंद किया जाना था एवं वादी के वाद पत्र का कोई खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किये जाने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था। इस प्रकार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादी को दिनांक 30.01.2012 से दिनांक 26.11.2014 तक जो 30 पेशियां प्रदान की वह सभी न्यायिक प्रावधानों के विरूद्ध प्रदान की गई। तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट मांगी का प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का बिना अवलोकन किये एवं उसे न्याय से वंचित करते हुए बिना किसी दस्तावेज के आदेशिका निर्णय दिनांक 19.06. 2015 पारित किया जिससे प्रकट है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने राज्य सरकार के लोक अदालत के केम्प में मात्र पक्षकारों को न्याय से वंचित करते हुए तुरत–फुरत प्रकरण को निस्तारित करने का निर्णय पारित किया। उक्त प्रकरण में वादी की पत्रावली केम्प दादाई में रखी गई हो उसका कोई नोटिस अपीलांट को सूचित लिखित में नहीं किया। उक्त सूचना नहीं देने से प्रतिवादी व लक्ष्मी ने षडयंत्र रचकर चूंकि लक्ष्मी प्रतिवादी के रिस्ते में संबंधि है। जिसने अपनी वृद्ध माता पेपी को बिना ज्ञान कराए उसके अंगुष्ठ निशान कपटपूर्वक न्यायालय की पत्रावली में व अन्य दस्तावेजों पर करवा दिये तथा वादी मांगीदेवी जो स्वर्गीय दौलाराम की विधिक पुत्री होते हुए एवं विचाराधीन वाद में उसका हक अधिकार निहित होने से उसे बतौर वादी पक्षकार संयोजित किये अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध एवं उसे उसकी भूमि से वंचित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए उसका प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2013 न्यायालय की पत्रावली पर होते हुए एवं उसका ज्ञान पीठासीन अधिकारी को होते हुए उक्त प्रतिवादी व पीठासीन अधिकारी ने अपीलांट को उसके जायज हक अधिकारों के विरूद्ध सम्पूर्ण वाद पत्र को जरिये विड्रोल करने का निर्णय व डिक्री पारित की जो अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय को उक्त वाद पत्रावली बतौर अपीलांट को वादी पक्षकार संयोजित करते हुए पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसके अतिरिक्त अपीलांट मांगी 25.01.2016 को अपनी वादग्रस्त भूमि की सार सम्भाल हेतु एवं उसकी माता पेपी बीमार होने से उसकी देखभाल हेतु अपने ग्राम जाने पर एवं वादग्रस्त भूमि पर जाने पर रेस्पोंडेंट पीराराम अपीलांट को धमकी देने लगा कि उसका इस भूमि में कोई अधिकार नहीं हैं। तेरे पिता के वाद को खारिज करवा दिया आइंदा इस जमीन पर आई तो जान से मार देंगे एवं उनका नाम राजस्व रेकर्ड में होने से उक्त भूमि को बेचाण करने की धमकी दी तब अपीलांट अपने अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर उसमें बताया कि उसका वाद पत्र खारिज हो चुका जिसकी नकलें अपीलांट मांगी को प्रदान की तब अपीलांट को जानकारी में आया कि विचाराधीन वाद में अपीलांधीन निर्णय व डिक्री उसके जायज हक अधिकारों के विरूद्ध एवं अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार संयोजित किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वादी के वाद पत्र को खारिज करने बाबत् पारित की। जो अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता दौलाराम द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 को जरिये विड्रॉल वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थीं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दादाई कैम्प में पारित किया गया। जिसका कोई नोटिस अपीलांट को प्रेषित नहीं किया गया। स्व. दौलाजी ने वादग्रस्त भूमि का वसीयतनामा दिनांक 26.11.2012 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। लक्ष्मी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार शेष नहीं रहा। पत्रावली वादी कायम मुकाम में नियत थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना प्रतिवादी एवं लक्ष्मी के राजीनामे के आधार पर जरिये विड्रॉल वादपत्र खारिज किया गया। जो विधिशून्य है। अपीलांट दिनांक 25.01.2016 को वादग्रस्त भूमि की सारसंभाल हेतु गांव जाने पर रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट को धमकी देने पर अधीनस्थ न्यायालय में नकल आदि का आवेदन कर नकल प्राप्त करने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः विलंब सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को समुचित सूचित किए बिना पत्रावली दिनांक 19.06.2015 को लोक अदालत कैम्प दादाई में नियत कर वादी फौत होने के बावजूद व वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पत्रावली पर होने के बावजूद एवं कायम मुकाम प्रार्थना पत्र में वादी दौलाराम के वारिसान के रूप में मांगीबाई एवं लक्ष्मीबाई पुत्रियां तथा पेपीबाई पत्नि अंकित होने के बावजूद कायम मुकाम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना दिनांक 19.06.2015 को लक्ष्मी एवं पेपी के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान करवाते हुए इनकी ओर से कथित राजीनामा जरिये विड्रॉवल वादपत्र का आवेदन प्राप्त कर इसी आधार पर वादपत्र खारिज किया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती एवं अपीलाधीन आदेश विधिक दृष्टि से शून्य है। अतः विलंबकाल सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी दौलाराम द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2011 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पत्रावली जवाबदावा हेतु नियत रही। आदेशिका दिनांक 06.05.2015 द्वारा पत्रावली आयंदा दिनांक 22.07.2015 को नियत की गई। लेकिन इसी दरम्यान पक्षकारान को नोटिस व सूचित किए बिना पत्रावली दिनांक 19.06.2015 को लोक अदालत कैम्प दादाई में नियत की गई। वादी दौलाराम फौत हो चुका था तथा वादी की पुत्री अपीलांट मांगीबाई द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कायम मुकाम प्रमाण पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना एवं मृतक वादी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए बिना दिनांक 19.06.2015 को लक्ष्मी एवं पेपी के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान करवाते हुए इनकी ओर से कथित राजीनामा जरिये विड्रॉवल वादपत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का आवेदन प्राप्त कर इसी आधार पर वादपत्र खारिज किया गया। प्रकरण में न तो पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा निष्पादित किया गया व न मृतक वादी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा न ही मृतक वादी के सभी वारिसान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सारवान विधिक व तथ्यात्मक स्थिति को संज्ञान में लिए बिना विधिविरूद्ध रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र को जरिये राजीनामा विड्रॉवल से खारिज किया गया। जो पूर्णतया आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का उल्लंघन है तथा विधिविरूद्ध है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से पारित की गई हैं। अतः विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 के अंतर्गत अपील पोषणीय नहीं हैं तथा धारा 96 सीपीसी के अनुसार भी अपीलाधीन डिक्री पक्षकारान की आपसी सहमति से पारित होने से पोषणीय नहीं हैं। अतः खारिज फरमावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट की आपत्ति प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह स्वीकृत स्थिति है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र वादी के कायम मुकाम में विचाराधीन था तथा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2013 में दौलाराम के वारिसान के रूप में पत्नि पेपीबाई व पुत्री लक्ष्मीबाई के अलावा अपीलांट मांगीबाई भी बतौर उत्तराधिकारी अंकित थीं। न्यायालय द्वारा न तो सभी पक्षकारान को नोटिस प्रेषित किया व न ही सभी पक्षकारान द्वारा सहमति व राजीनामा निष्पादित किया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. पूर्व विवेचित बिंदु संख्या 4 के विवेचन व पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि मृतक वादी दौलाराम के सभी वारिसान की ओर से कोई राजीनामा या सहमति निष्पादित नहीं की गई। कथित राजीनामा प्रार्थना पत्र पर अपीलांट मांगीबाई के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही मांगीबाई को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित किया गया व न ही उपस्थिति दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के सभी वारिसान द्वारा सहमति/राजीनामा निष्पादित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसे किसी भी दृष्टि से लोक अदालत में पारित निर्णय या पक्षकारान के मध्य सहमति/राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री नहीं कहा जा सकता। अतः अपील बखूबी पोषणीय है। लिहाजा, रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री से पूर्व पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी की सूचना/नोटिस दिए बिना प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखने, पत्रावली जवाबदावा एवं वादी के कायम मुकाम की कार्यवाही में नियत होने एवं कायम मुकाम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना मृतक के सभी पक्षकारान को सूचित किए बिना एवं सभी पक्षकारान की उपस्थिति के अभाव में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा/सहमति निष्पादन के अभाव में केवल मृतक की पत्नि पेपी व पुत्री लक्ष्मी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान के आधार पर वादपत्र जरिये राजीनामा विड्रॉल खारिज करने से पक्षकारान की सहमति, राजीनामा नहीं होने के बावजूद प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखकर निर्णित कर देने तथा ऐसा निर्णय/आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 20 से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 1571/2011 बअनवान दौलाराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल के आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधिनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में उपस्थित रहें। निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner